संख्या–6 एस०एस०(6)37 / 2023–2578 /

194

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 01 / 6 / 2026.

XX

XX
अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना एवं सात निश्चय–2 के तहत "विशेष घटक पैकेज योजना" (अनुसूचित जाति / जनजाति / अति पिछड़ा) हेतु कुल ₹ 4248.076 लाख (बयालीस करोड़ अड़तालीस लाख सात हजार छः सौ) रुपये मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–1983, दिनांक–07.05.2025 एवं 1984, दिनांक–07.05.2025 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना एवं सात निश्चय–2 के तहत "विशेष घटक पैकेज योजना" (अनुसूचित जाति / जनजाति / अति पिछड़ा) हेतु कुल ₹ 4248.076 लाख (बयालीस करोड़ अड़तालीस लाख सात हजार छः सौ) रुपये मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–I, II (क), II (ख), III (क), III (ख), III (ग), IV (क), IV (ख), IV (ग), V एवं VI के रूप में संलग्न है।

2. इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के मत्स्य कृषकों को विशेष पैकेज सहायता के तहत तालाब निर्माण, बोरिंग पम्पसेट / समरसेबुल, ट्यूबवेल / सोलर पम्पसैट का अधिष्ठापन, मत्स्य इनपुट, शेड का निर्माण, यांत्रिक एरेटर आदि सम्बद्ध सहायक इकाईयों का एक "पैकेज सहायता" प्रदान किया जाना है। इससे न केवल आजीविका (खाद्य एवं प्रोटीन सुरक्षा) का साधन उपलब्ध हो सकेगा बल्कि इस वर्ग के मत्स्य पालकों को रोजगार एवं आमदनी का एक ठोस विकल्प भी उपलब्ध हो सकेगा।

3. योजना के क्रियान्वयन से निम्न लाभ होने की संभावना है –

(i). पैकेज सहायता के द्वारा तालाब मात्स्यिकी को अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के लाभुकों के लिए एक ठोस आधार तथा आजीविका का साधन सुलभ होगा।

(ii). पठारी एवं तराई क्षेत्र के भूमि को मत्स्य पालन हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।

(iii). पैकेज सहायता के द्वारा तालाब मात्स्यिकी से विविध मत्स्य उत्पाद (यथा–मछली, झींगा, बीज आदि) का उत्पादन सुलभ हो सकेगा।

(iv). इससे जलवायु अनुकूल मात्स्यिकी को बढ़ाने में सहायक होगी।

(v). राज्य के मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि होगी।

(vi). किसानों की आमदनी तथा वार्षिक आय में अभिवृद्धि होगी।

4. योजना का भौतिक एवं वित्तीय आकार :–

प्रस्तावित "विशेष घटक पैकेज योजना" के–

(क) राज्य योजना के तहत "तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना" के तहत रियरिंग तालाब निर्माण एवं संबद्ध इकाईयों के अधिष्ठापन पर अधिकतम ₹ 10.10 लाख प्रति एकड़ जलक्षेत्र (इकाई लागत) तथा न्यूनतम मो० 5.72 लाख प्रति यूनिट (एक यूनिट = 0.4 एकड़ जलक्षेत्र) इकाई लागत आकलित है। योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागात पर 70 प्रतिशत राशि अनुदान (सब्सिडी) के रूप में देय है तथा कुल 625 पैकेज इकाई अर्थात् कुल 250 एकड़ जलक्षेत्र में तालाब विकसित होने की संभावना है। इस पर प्रशासनिक व्यय सहित कुल ₹ 2527.50 लाख (पच्चीस करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार) रुपये मात्रराशि व्यय होने का अनुमान है (अनुलग्नक–II(क) संलग्न)।

(ख) सात निश्चय–2 के तहत "पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना" के तहत तालाब निर्माण एवं संबद्ध इकाईयों के अधिष्ठापन परपर अधिकतम ₹16.70 लाख प्रति एकड़ जलक्षेत्र तथा न्यूनतम ₹ 10.34 लाख प्रति यूनिट (एक यूनिट=0.4 एकड़ जलक्षेत्र)इकाई लागत प्राक्कलित है, जिससे योजनान्तर्गत कुल 208 पैकेज इकाई अर्थात्कुल 83.20 एकड़ जलक्षेत्र में तालाब विकसित होने की संभावना है। उक्त योजनान्तर्गत 80 प्रतिशत सब्सिडी देय है जिस पर अनुदान (सब्सिडी) के रूप में कुल ₹ 1720.57600 लाख (सतरह करोड़ बीस लाख सत्तावन हजार छः सौ रु०) राशि व्यय होने का अनुमान है (अनुलग्नक–II(ख) संलग्न)।

इस प्रकार "विशेष घटक पैकेज योजना" के तहत कुल 833 पैकेज इकाई अर्थात् कुल 333.2 एकड़ जलक्षेत्र में तालाब विकसित होगा तथा प्रशासनिक व्यय सहित कुल ₹ 4248.076 लाख व्यय होने का अनुमान है (अनुलग्नक–I संलग्न)।

5. योजना का रूप–रेखा एवं संक्षिप्त विवरणी :–

"विशेष घटक पैकेज योजना" के तहत निम्नलिखित दो योजनाएँ प्रस्तावित हैं :–

(I) "तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना"।

(II) "पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना"।

(I) तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना–

(i). यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी।

(ii). इस योजना के तहत एक पैकेज के रूप में रियरिंग तालाब का निर्माण, ट्यूबवेल एवं पम्पसेट/समरसेबुल का अधिष्ठापन, निर्मित तालाब हेतु

उन्नत इनपुट, यांत्रिक एरेटर की अधिष्ठापन एवं शेड का निर्माण किया जाएगा।

(iii). योजनान्तर्गत समेकित रूप से तालाब के निर्माण एवं संबद्ध इकाईयों के अधिष्ठापन / निर्माण पर अधिकतम 10.10 लाख प्रति एकड़ जलक्षेत्र तथा न्यूनतम 5.72 लाख प्रति युनिट (एक यूनिट = 0.4 एकड़ जलक्षेत्र) इकाई लागत आकलित है (विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–III (क), III (ख) एवं III (ग) संलग्न) जिसपर 70 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडि) राशि की अनुमान्यता होगी। शेष राशि तथा निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर भी अतिरिक्त राशि का वहन लाभुक द्वारा स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से किया जायेगा।

(iv). एक व्यक्ति / परिवार को योजनान्तर्गत अधिकतम एक एकड़ जलक्षेत्र तथा न्यूनतम 0.4 एकड़ जलक्षेत्र (एक यूनिट=0.4 एकड़ जलक्षेत्र) के तालाब निर्माण पर पैकेज इकाई के तहत अनुदान राशि का लाभ देय होगा।

(v). इस योजनान्तर्गत राज्य के अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभुको के लिए पैकेज के तहत क्रमशः 156 एकड़ जलक्षेत्र (390 यूनिट), 90 एकड़ जलक्षेत्र (225 यूनिट) तथा 4 एकड़ जलक्षेत्र (10 यूनिट) अर्थात कुल 250 एकड़ जलक्षेत्र (625 यूनिट) में तालाब निर्माण किया जायेगा तथा ₹ 2502.50 लाख राशि अनुदान (सब्सिडी) तथा ₹ 25.00 लाख राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में अर्थात कुल ₹ 2527.50 लाख व्यय होने का अनुमान है (अनुलग्नक–II (क) संलग्न)।

(vi). योजनान्तर्गत ₹ 25.00 लाख राशि प्रशासनिक व्यय (आकस्मिकता एवं जन जागरूकता) मद में व्यय हेतु कर्णांकित किया गया है। प्रशासनिक व्यय के तहत कर्णाकित राशि से प्रश्नगत योजना का प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण / कृषक गोष्ठी, योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण, आवश्यक सांगठनिक एवं तकनीकी सहयोग, कम्प्यूटर एवं इससे सम्बद्ध सामाग्री, फोटोग्राफी हेतु केमरा, फर्निचर, बैनर, पोस्टर, पेम्फ्लेट, वृत चित्र एवं लघु फिल्म, कॉफी बुक, प्रलेखन आदि कार्यो का सम्पादन किया जा सकेगा।

(vii). साथ ही, इस योजना के सफल क्रियान्वयन से लगभग अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 390, 225 तथा 10 कृषक अर्थात कुल 625 कृषक लाभान्वित होंगे।

(II) "पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना"।

(i). पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना राज्य के दक्षिण बिहार के चिन्हित पठार बाहुल्य जिलों में लागू की जाएगी। इन पठारीक्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी मुख्यतः पठार के तराई एवं वन क्षेत्र में निवास करती है। इन क्षेत्रों की भौगौलिक स्थिति, बिजली आपूर्ति की सीमित व्यवस्था एवं इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए उक्त योजना को एक पैकेज इकाई के

(192)

रूप में तैयार किया गया है ताकि योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् मछली पालन का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सके।

(ii). चिन्हित जिलों के प्रखंड/प्रखंडों में जहाँ पठारी भूमि उपलब्ध है वहाँ यह योजना लागू की जायेगी।

(iii). योजनान्तर्गत समेकित रूप से तालाब के निर्माण एवं संबद्ध इकाईयों के अधिष्ठापन/ निर्माण पर अधिकतम 10.10 लाख प्रति एकड़ जलक्षेत्र तथा न्यूनतम 5.72 लाख प्रति युनिट (एक यूनिट = 0.4 एकड़ जलक्षेत्र) इकाई लागत आकलित है (विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–III (क), III (ख) एवं III (ग) संलग्न) जिसपर 70 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडि) राशि की अनुमान्यता होगी। शेष राशि तथा निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर भी अतिरिक्त राशि का वहन लाभुक द्वारा स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से किया जायेगा।

(iv). एक व्यक्ति/परिवार को योजनान्तर्गत अधिकतम एक एकड़ जलक्षेत्र तथा न्यूनतम 0.4 एकड़ जलक्षेत्र (एक यूनिट=0.4 एकड़ जलक्षेत्र) के तालाब निर्माण पर पैकेज इकाई के तहत अनुदान राशि का लाभ देय होगा।

(v). इस योजनान्तर्गत राज्य के अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभुको के लिए पैकेज के तहत क्रमशः 156 एकड़ जलक्षेत्र (390 यूनिट), 90 एकड़ जलक्षेत्र (225 यूनिट) तथा 4 एकड़ जलक्षेत्र (10 यूनिट) अर्थात कुल 250 एकड़ जलक्षेत्र (625 यूनिट) में तालाब निर्माण किया जायेगा तथा ₹ 2502.50 लाख राशि अनुदान (सब्सिडी) तथा ₹ 25.00 लाख राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में अर्थात कुल ₹ 2527.50 लाख व्यय होने का अनुमान है (अनुलग्नक–II (क) संलग्न)।

(vi). योजनान्तर्गत ₹ 25.00 लाख राशि प्रशासनिक व्यय (आकस्मिकता एवं जन जागरूकता) मद में व्यय हेतु कर्णांकित किया गया है। प्रशासनिक व्यय के तहत कर्णाकित राशि से प्रश्नगत योजना का प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण/ कृषक गोष्ठी, योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण, आवश्यक सांगठनिक एवं तकनीकी सहयोग, कम्प्यूटर एवं इससे सम्बद्ध सामाग्री, फोटोग्राफी हेतु केमरा, फर्निचर, बैनर, पोस्टर, पेम्फलेट, वृत चित्र एवं लघु फिल्म, कॉफी बुक, प्रलेखन आदि कार्यो का सम्पादन किया जा सकेगा।

(vii). साथ ही, इस योजना के सफल क्रियान्वयन से लगभग अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 390, 225 तथा 10 कृषक अर्थात कुल 625 कृषक लाभान्वित होंगे।

(II) ''पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना''।

(i) पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना राज्य के दक्षिण बिहार के चिन्हित पठार बाहुल्य जिलों में लागू की जाएगी। इन पठारीक्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी मुख्यतः पठार के तराई एवं वन क्षेत्र में निवास करती है। इन क्षेत्रों की

भौगौलिक स्थिति, बिजली आपूर्ति की सीमित व्यवस्था एवं इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए उक्त योजना को एक पैकेज इकाई के रूप में तैयार किया गया है ताकि योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् मछली पालन का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सके।

(ii) चिन्हित जिलों के प्रखंड/प्रखंडों में जहाँ पठारी भूमि उपलब्ध है वहाँ यह योजना लागू की जायेगी।

(iii) इस योजना के तहत एक पैकेज के रूप में तालाब का निर्माण, ट्यूबवेल एवं सोलर पंप का अधिष्ठापन, निर्मित तालाब हेतु उन्नत इनपुट एवं शेड का निर्माण किया जाएगा।

(iv) एक व्यक्ति/परिवार को योजनान्तर्गत अधिकतम एक एकड़ जलक्षेत्र तथा न्यूनतम 0.4 एकड़ जलक्षेत्र (एक यूनिट = 0.4 एकड़ जलक्षेत्र) के तालाब निर्माण पर पैकेज इकाई के तहत अनुदान राशि का लाभ देय होगा।

(v) चिन्हित पठारी बाहुल्य जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जिसके पास निजी/लीज की भूमि उपलब्ध हो, इस योजना के तहत आवेदक होंगे।

(vi) योजनान्तर्गत समेकित रूप से तालाब के निर्माण एवं संबद्ध इकाईयों के अधिष्ठापन/निर्माण पर अधिकतम ₹ 16.70 लाख प्रति एकड़ जलक्षेत्र तथा न्यूनतम ₹ 10.34 लाख प्रति यूनिट (एक यूनिट = 0.4 एकड़ जलक्षेत्र)इकाई लागत आकलित है (विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–IV (क), IV (ख) एवं IV (ग) संलग्न) जिसपर 80 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडि) राशि की अनुमान्यता होगी। शेष राशि तथा लाभुक द्वारा स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से वहन किया जायेगा।

(vii) योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर अतिरिक्त राशि का वहन लाभुक द्वारा स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से किया जायेगा।

(viii) इस योजनान्तर्गत पठारी क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पैकेज के तहत क्रमशः 77.2 एकड़ जलक्षेत्र (193 यूनिट) तथा 6 एकड़ जलक्षेत्र (15 यूनिट) अर्थात कुल 83.20 एकड़ जलक्षेत्र (208 यूनिट) में तालाब निर्माण किया जायेगा तथा कुल ₹ 1720.576 लाख (सतरह करोड़ बीस लाख सत्तावन हजार छः सौ रु०) राशि अनुदान (सब्सिडी) के रूप में व्यय होने का अनुमान है (अनुलग्नक–II(क) संलग्न)।

(ix) साथ ही, इस योजना के सफल क्रियान्वयन से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रमशः 193 तथा 15 कृषक अर्थात कुल 208 कृषक लाभान्वित होंगे।

6. वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना एवं सात निश्चय–2 के तहत ''विशेष घटक पैकेज योजना'' (अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़ा) हेतु कुल ₹ 4248.076

190

लाख (बयालीस करोड़ अड़तालीस लाख सात हजार छः सौ) रुपये मात्र व्यय होंने का अनुमान है (अनुलग्नक–I) संलग्न।

7. आहर्त्ता एवं संलग्न किए जाने वाले कागजात :–

(क) राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति "तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना" के लिए तथा चिन्हित जिलों के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति "पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना" हेतु जिसके पास निजी/लीज की भूमि उपलब्ध हो, इस योजना के तहत आवेदक होंगे।

(ख) आवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि का फोटोग्राफ स्पष्ट लैंड–मार्क/ विभेदक–चिन्ह के साथ हो ताकि निरीक्षण के क्रम में सम्बद्ध योजना हेतु प्रस्तावित भूमि की पहचान की जा सकें।

(ग) आवेदन पत्र में लाभुको का मोबाईल नं० तथा बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड अंकित किया जायेगा। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/ आधार कार्ड नं०/राशन–कार्ड नं०/मतदाता पहचान पत्र/जमीन का नक्शा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

(घ) लाभुकों को आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ड़) योजनान्तर्गत तालाब निर्माण हेतु लाभुक को निजी/लीज पर भूमि होना आवश्यक है। तालाब के निजी स्वामित्व हेतु भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन मालगुजारी रसीद, लीज के भूमि में लीज का निबंधित एकरारनामा/ नन–जूडिशीयल स्टांप (1000/– रुपये) पर एकरारनामा (न्यूनतम 09 वर्ष का) आवेदन के साथ संलग्न करना आवयश्क होगा। नन–जूडीसीयल स्टांप पर एकरारनामा के मामले में भू–स्वामी/स्वामियों से भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र/ रसीद आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(च) साथ ही, आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र (नोटरी) समर्पित करना होगा कि उनके द्वारा तालाब निर्माण (सभी अवयवों सहित) के कार्य हेतु निजी/लीज पर ली गई भूमि विवाद रहित हैं। निजी अथवा लीज पर ली गई भूमि विवादित रहने पर आवेदक को योजना का लाभ देय नहीं होगा।

8. लाभुकों का चयनः–

(क) मत्स्य निदेशालय के द्वारा राज्यस्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन/ विभागीय वेबसाईट पर सूचना प्रकाशित कर, विहित प्रपत्र में ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त आवेदन–पत्रों को सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा। लक्ष्य से कम आवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत मत्स्य निदेशालय स्तर से पोर्टल खोलकर पुनः ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरांत चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त शेष आवेदन–पत्रों की प्रतीक्षा सूची तैयार की

जाएगी जिसका आगामी वित्तीय वर्ष में सदृश्य योजना हेतु प्राथमिकता के तहत मान्य किया जाएगा।

(ख) योजनान्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन पत्रों को ससमय जाँच एवं लाभुकों के चयन करते कार्यादेश निर्गत करने हेतु यह आवश्यक है कि प्राप्त आवेदन–पत्रों को प्रतिदिन डाउनलोडिंग, साप्ताहिक जाँच तथा कट–ऑफ तिथि (प्रत्येक माह का अंतिम दिन) के पश्चात योग्य लाभाथियों के चयन हेतु परिक्षेत्रन्तर्गत उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की बैठक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) चयनोपरांत चयनित लाभाथियों को कार्यादेश निर्गत कर, इससे सम्बन्धित सूचि कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। शेष लक्ष्य की उपलब्धी हेतु दूसरे चरण की विज्ञापन के पश्चात् (लक्ष्य से कम आवेदन होने पर) प्राप्त आवेदन–पत्रों एवं प्रथम चरण के त्रुटि सुधार आवेदन पत्रों को जाँचोपरांत चयन समिति की अनुशंसा के उपरांत योग्य आवेदक को कार्यादेश निर्गत की जाएगी।

(घ) त्रुटि सुधार हेतु आवेदक को एक पक्ष का समय दिया जाएगा तत्पश्चात् त्रुटिरहित आवेदक–पत्रों को चयन हेतु विचार किया जाएगा। लक्ष्य से अधिक योग्य आवेदन होने पर प्रतिक्षा सूची तैयार कर संधारित की जाएगी।

(ड़) योजनान्तर्गत लक्ष्य से अधिक पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा सभी आवेदक आवश्यक आहर्ताओं को पूर्ण करते हो, तो मत्स्य पालन तकनीक में प्रशिक्षण प्राप्त तथा जिला मत्स्य कार्यालय में विधिवत पहले वांछित त्रुटि–रहित वैध दस्तावेज/कागजात के साथ पूर्ण आवेदन समर्पित करने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

9. सब्सिडी भुगतान :–

(i). योजनान्तर्गत सब्सिडी का भुगतान दो किस्तों में की जाएगी।

(ii). तालाब निर्माण के उपरांत कुल देय सब्सिडी का 60 प्रतिशत राशिप्रथम किस्त तथा संबद्ध इकाईयों के अधिठापन/निर्माण एवं इनपुट सामाग्रियों के क्रय के उपरांत शेष 40 प्रतिशतसब्सिडी की राशि द्वितीय किस्त के रूप में लाभार्थी के द्वारा अभिश्रव/प्रमाणक के साथ विधिवत दावा–पत्र कार्यालय में समर्पित करने के पश्चात, क्षेत्रीय प्रभारी/कनीय अभियंता द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदन एवं अनुदान समिति के अनुशंसा के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(iii). योजनान्तर्गत पैकेज इकाई के तहत अगर लाभुक द्वारा 0.4 एकड़ जलक्षेत्र से अधिक तथा एक एकड़ जलक्षेत्र से कम जलक्षेत्र का तालाब का निर्माण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में लाभुक को उक्त तालाब के निर्माण (जलक्षेत्र) तथा निर्मित तालाब (जलक्षेत्र) हेतु उन्नत इनपुट पर देय अनुदान की भुगतान समानुपातिक लागत दर पर गणना कर किए जाने की अनुमान्यता होगी।

(iv). योजनान्तर्गत न्यूनतम 0.4 एकड़ से अधिकतम एक एकड़ तक के जलक्षेत्र के तालाब निर्माण पर पैकेज इकाई के तहत केवल एक टयूब्वेल एवं पंपसेट/

समरसेबुल का अधिष्ठापन, एक यांत्रिक एरेटर की व्यवस्था तथा एक शेड के निर्माण अवयवों पर देय सब्सिडी राशि की भुगतान की अनुमान्यता होगी।

10. अन्य क्रियान्वयन अनुदेश :–

(क) योजनान्तर्गत तालाब का निर्माण (सभी अवयवों सहित) से संबंधित कार्यो पर वास्तविक व्यय तथा निर्धारित इकाई लागत दोनो में जो भी न्यूनत्तम हो के आधार पर अनुमान्य सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जाएगा। शेष राशि लाभार्थी द्वारा स्वयं स्वलागत अथवा बैंक ऋण से किया जाएगा।

(ख) योजनान्तर्गत सब्सिडी का भुगतान (दोनो किश्तों का) उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरांत जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में आर०टी०जी०एस० / एन०ई०एफ०टी० / डी०बी०टी० के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

(ग) योजना के तहत लाभुकों के द्वारा एक शपथ पत्र दी जाएगी, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि योजनान्तर्गत प्रथम अथवा द्वितीय अथवा दोनों किश्त सब्सिडी की राशि प्राप्त करने के पश्चात् अगर उनके द्वारा कतिपय कारणों से योजना पूरी नहीं की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडी राशि वसूलनीय होगी। इस हेतु उनके विरूद्ध नीलामपत्र–वाद दायर की जायेगी।

(घ) इस योजना के क्रियान्वयन के क्रम में जिलों को आवंटित वित्तीय राशि (लक्ष्य) में से अगर अव्यवहृत शेष राशि की बचत होती है, तो ऐसी परिस्थिति में उस जिला को योजनान्तर्गत निहित प्रावधान एवं शर्तें को दृष्टिपथ में रखते हुए परिक्षेत्रन्तर्गत उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित अनुदान समिति की अनुमति से उक्त अव्यवहृत शेष राशि को व्यय करने की अनुमान्यता होगी। परन्तु योजनान्तर्गत पैकेज के तहत निर्धारित न्यूनतम 0.4 एकड़ जलक्षेत्र (एक यूनिट = 0.4 एकड़ जलक्षेत्र) से कम जलक्षेत्र के तालाब निर्माण से सम्बन्धित आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ड़) इस राज्य योजना एवं सात निश्चय–2 के तहत ''विशेष घटक पैकेज योजना' का लाभ उन्हीं अनुसूचित जाति / जनजाति / अति पिछड़ी जाति के कृषकों को देय होगा जो गत वर्ष अथवा चालू वित्तीय वर्ष में राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत / कार्यान्वित पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित योजना तथा मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना के तहत सदृश्य अवयवों का लाभ प्राप्त नहीं किये हों।

(च) चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत (2023–24 से 2027–28) इस योजनान्तर्गत जितने आवेदन जिलों में अव्यवहृत हो उसे "आवेदनों के एक पूल" के रूप में संधारित कर इच्छुक योग्य लाभार्थी को चालू वित्तीय वर्ष तथा बाद के वर्षों में क्रियान्वित सदृश्य योजना में कार्यादेश दिया जा सकेगा। इसके लिए जिलों में योग्य आवेदकों की अनुमोदित प्रतीक्षा सूची संधारित की जाएगी।

(छ) योजनान्तर्गत वार्षिक लक्ष्यों की गणना संचयात्मक (cumulative) रूप से की जाएगी जो चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023–28) में (तालाब निर्माण) निर्धारित लक्ष्य

के अनुरूप होगा। इससे गत वर्ष के लक्ष्यों को संचयी (cumulative) रूप में रोड मैप अवधि तक पूरा करने में सहूलियत होगी।

(ज) योजनान्तर्गत अगर लाभार्थी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया हो तो गत वर्ष के कार्यादेश को रद्द कर योग्य आवेदनों के पूल में से संचयी लक्ष्य के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में कार्यादेश निर्गत कर विगत वर्ष के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।

11. तालाब पर पक्का बोर्ड लाभार्थी द्वारा लगाना अनिवार्य होगा। बोर्ड चार फीट खड़ा लोहे के एंगल पर 4 फीट X 3 फीट आकार के लोहे के चादर का होगा जिस पर पेंट से विवरणी अंकित होगा।

बोर्ड पर अंकित विवरणी का प्रारूप निम्न होगा :–

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

मत्स्य निदेशालय, पटना

योजना का नाम एवं वर्ष–

योजना अवयव का नाम–

लाभुक का नाम एवं पता–

प्राक्कलित/लागत राशि–

सब्सिडी की राशि–

आच्छादित जलक्षेत्र आदि–

सामग्रियाँ यथा– पंपसेट/समरसेबुल, यांत्रिक एरेटर एवं शेड के उचित स्थान पर निम्न विवरणी होगा –

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

मत्स्य निदेशालय, पटना

बिहार सरकार

द्वारा

आर्थिक सहायता से प्रदत्त

12. उपर्युक्त वर्णित योजना हेतु उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र की अध्यक्षता में गठित समिति, लाभुकों का चयन, सब्सिडी भुगतान की अनुशंसा एवं योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय स्तर पर होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए सुझाव समय–समय पर देगी जिसमें निम्न सदस्य होगें।

(i) उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र – अध्यक्ष

(ii) जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी – सदस्य सचिव

(iii) मत्स्य प्रसार पदाधिकारी – सदस्य

(iv) कनीय अभियंता – सदस्य

(v) मत्स्य विकास पदाधिकारी – सदस्य

उक्त समिति प्रत्येक माह अथवा आवश्यकतानुसार बैठक आहूत करेगी।

13. योजनान्तर्गत जिलावार, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक–V-VI के रूप में संलग्न है।

(186)

14. इस योजनान्तर्गत जिलों को आवंटित भौतिक लक्ष्य की उपलब्धि में कतिपय कारणों से कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में अन्य जिलों के द्वारा भौतिक लक्ष्य की मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंतर–जिला लक्ष्य का स्थानान्तरण निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा किया जा सकेगा।

15. योजना के कार्यान्वयन एवं राशि निकासी में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अनुमति से दिशा निदेश/अनुदेश जारी किया जा सकेगा।

16. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे।

17. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि आवश्यकतानुसार बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय किया जा सकेगा।

18. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अनुरूप निदेशक मत्स्य के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

19. बजट शीर्ष एवं बजट की उपलब्धता :–

(I) ''तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना''–

(क) इस योजनाके तहत प्रशासनिक व्यय तथा अतिपिछड़ी जातियों के लाभुकों के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन माँग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन उप मुख्य शीर्ष–00 –लघु शीर्ष–101 –अंतर्देशीय मछलीपालन, उप शीर्ष–0104 –तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02–2405001010104 के तहत विषय शीर्ष–0104.13.01–कार्यालय व्यय तथा विषय शीर्ष–0104.33.01–सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ख) इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों के लाभुकों के लिए स्वीकृत राशि का व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन माँग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– उप शीर्ष–0101 –मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड 02–2405007890101 विषय शीर्ष–01.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ग) इस योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0109 –मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड 02–2405007960109, विषय शीर्ष–0109.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(II) ''पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना''।

(क) इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0102 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02.2405007890102 विषय शीर्ष–0102.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ख) इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन मुख्य शीर्ष–2405 –मछली, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातियों क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0110–मत्स्य संपदा– सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2405007960110 के विषय शीर्ष–0110.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

20. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

21. यह स्कीम एक चालू स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 30.00 करोड़ से अधिक है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका–6 एस०एस०(6)37/2023 के पृष्ठ–93/टि०, दिनांक–21.05.2026.

22. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)37/2023 के पृष्ठ–90/टि० तथा डायरी संख्या–239, दिनांक–16.04.2026.

23. वित्त विभाग के पत्र संख्या–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)37/2023 –2578/पटना–15, दिनांक–01/6/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)37/2023 –2578/पटना–15, दिनांक–01/6/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)37/2023 –2578/पटना–15, दिनांक–01/6/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी

उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)37/2023 –2578/पटना–15, दिनांक–.....01..../....6..../2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)37/2023 –2578/पटना–15, दिनांक–.....01..../....6..../2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)37/2023 –2578/पटना–15, दिनांक–.....01..../....6..../2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना एवं सात निश्चय–2 के तहत "तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना" हेतु मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00 के विभिन्न उप शीर्षो में होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–

(राशि लाख में)

क्र0	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत युनिट (1 युनिट– 0.4 एकड जलक्षेत्र)	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6	7
(I)	**"तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना"**					
1	लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0104 –तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02–2405001010104	0104.13.01 –कार्यालय व्यय	–	25.00	निदेशक मत्स्य / जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)	कोषागार, बिहार (सभी)
		0104.33.01 –सब्सिडी	390 यूनिट	1561.56		
2	लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0101 –मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड 02–2405007890101	0101.33.01 –सब्सिडी	225 यूनिट	900.90		
3	लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0109 –मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड 02–2405007960109	0109.33.01 –सब्सिडी	10 यूनिट	40.040		
	योग (I)(तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना)		**625 यूनिट**	**2527.50**		
(II)	**"पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना"**					
1	लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0102 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2405007890102	0102.33.01– सब्सिडी	193 यूनिट	1596.496	निदेशक मत्स्य / जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (संबंधित)	कोषागार, बिहार (संबंधित)
2	लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0110 –मत्स्य सम्पदा– सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–240500796011O	0110.33.01– सब्सिडी	15 यूनिट	124.080		
			208 यूनिट	**1720.576**		
			833 यूनिट	**4248.076**		

कुल रुपये (बयालीस करोड़ अड़तालीस लाख सात हजार छः सौ) मात्र।

2575
9/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–II (क)

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के तहत तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना हेतु वर्गवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(राशि लाख में)

"तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना"
इकाई लागत : 5.72 लाख प्रति यूनिट
(एक यूनिट = 0.40 एकड़)

राज्य योजना
(इकाई लागत 5.72 लाख/प्रति यूनिट (1 युनिट–0.4 एकड़ जलक्षेत्र)

क्र0	अतिपिछड़ा जाति (अनुदान 70 प्रतिशत) (विपत्र कोड 02–2405001010104 विषय शीर्ष–0104.33.01 –सब्सिडी)				अनु0 जाति (अनुदान 70 प्रतिशत) (विपत्र कोड 02–2405007890101 विषय शीर्ष–0101.33.01 –सब्सिडी)				अनु0 जनजाति (अनुदान 70 प्रतिशत) (विपत्र कोड 02–2405007960109 विषय शीर्ष–0109.33.01 –सब्सिडी)				कुल यूनिट (सं0)	कुल जलक्षेत्र (एकड़)	कुल अनुदान (लाख में)	प्रशासनिक व्यय (लाख में)	व्यय हेतु कुल राशि (लाख में)
	यूनिट (सं0)	जलक्षेत्र (एकड़)	राशि (लाख में)	सब्सिडी (लाख में)	यूनिट (सं0)	जलक्षेत्र (एकड़)	राशि (लाख में)	सब्सिडी (लाख में)	यूनिट (सं0)	जलक्षेत्र (एकड़)	राशि (लाख में)	सब्सिडी (लाख में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	390.00	156.00	2230.80	1561.56	225.00	90.00	1287.00	900.90	10.00	4.000	57.200	40.040	625.00	250.00	2502.50	25.00	2527.50

सरकार के संयुक्त सचिव

2578
01/6/26

अनुलग्नक–II (ख)													
वित्तीय वर्ष 2026–27 में सात निश्चय–2 के तहत पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना हेतु वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।													
(राशि लाख में)													
क्र0	पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना (अनुदान 80 प्रतिशत)												
	(1 यूनिट = 0.40 एकड़) (इकाई लागत = 10.34 लाख प्रति यूनिट)												
	इकाई लागत प्रति यूनिट (लाख में)	अनुदान (प्रतिशत)	अनुसूचित जाति (विपत्र कोड 02.2405007890102 विषय शीर्ष–0102.33.01 –सब्सिडी मद)				अनुसूचित जनजाति (विपत्र कोड 02–2405007960110 विषय शीर्ष–0110.33.01 –सब्सिडी मद)				कुल यूनिट (सं0)	कुल जलक्षेत्र (एकड़)	कुल अनुदान (लाख में)
			युनिट (सं0)	जलक्षेत्र (एकड़)	राशि (लाख में)	सब्सिडी (लाख में)	युनिट (सं0)	जलक्षेत्र (एकड़)	राशि (लाख में)	सब्सिडी (लाख में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10.34	80.00	193.00	77.2000	1995.6200	1596.4960	15.00	6.0000	155.1000	124.0800	208.0000	83.2000	**1720.5760**

सरकार के संयुक्त सचिव

2578
01/6/26

अनुलग्नक–III(क)

"तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना" (SC/ST/EBC) के तहत विभिन्न अवयवों पर व्यय विवरणीः–

(Water Area – 01 Acre)

क्र०	अवयव	अनुमानित व्यय (लाख में)	अभ्युक्ति
1.	Cost of construction of pond of 01 Acre (water area) and depth 05 ft. Mechanical means.	5.70	
2.	Deep Tubewell &Pumpset (2Hp)	1.20	
3.	Shed with tubular pipe and profile sheet	1.00	
4.	Input Cost @4Lakhs/h for 01 Acre water area	1.60	
5.	Mechanical Aerator	0.50	
6.	Miscellaneous expenditure (L.S)	0.10	
	Total	10.10	
		Say – 10.10 Lakh (Ten lakh Ten thousand only)	

Note :- The above cost of items are indicative & during construction actual cost of items may vary and interchangeable within the stipulated cost.

अनुलग्नक–III (ख)

पैकेज के तहत प्रति यूनिट इकाई (1 यूनिट = 0.4 एकड़ जलक्षेत्र) व्यय :–

क्र०	अवयव	अनुमानित व्यय (लाख में)	अभ्युक्ति
1.	Cost of Construction of Pond (For 0.4 Acre water area)	2.28	
2.	Deep Tubewell &Pumpset (2Hp)	1.20	
3.	Shed with tubular pipe and profile sheet	1.00	
4.	Input Cost (For 0.4 Acrewater area)	0.64	
5.	Blower/ Aerator	0.50	
6.	Miscellaneous expenditure (L.S)	0.10	
	Total	**5.72**	
		Lakh (Five lakh Seventy two thousand only)	

नोट :– उपर्युक्त व्यय विवरणी पैकेज सहायता के तहत न्युन्तम अनुमान जलक्षेत्र के आधार पर आकलित है, जिसके अनुसार जिलों को लक्ष्य दिया गया है।

2/1/5

सरकार के संयुक्त सचिव

2578
01/6/16

179

अनुलग्नक–III (ग)

Input cost for pond fisheries						
Model estimate for advance inputs schemes for pond fisheries of 1 hectare of water area (For 01 Acre – 1.60 Lakhs)						
Operational Input Cost for one crop (one year) 2.50 Acre or 1 Hectare water area.						
Sl.no.	Items	Quantity/ Hectare	Unit	Net Quantity	Rate	Amount
1	2	3		4	5	6
A	Fish Seed-					
1	Advance fingerlings Size ≥ 50 gms.6000 nos = 300 K.G.	300.00	K.G.	300.00	300.00 (Including transportation)	90000.00
B	Manuring & fertilization-					
2	Liming	400.00	K.G.	400.00	20.00	8000.00
3	De-oiled mustered oil cake	0.500	Ton	0.50	20000.00	10000.00
C	Formulated commercial feed					
4	Sinking pellet Feed	2500.00	K.G.	2500.00	34.00	85000.00
5	Floating Feed (for last qr.)	3500.00	K.G.	3500.00	46.00	161000.00
C	Chemical & Medicines					
6	KMnO4, Probitics, Mineral mixture, Therapeutic agent etc.			L.S	35000.00	35000.00
7	Miscellaneous			L.S	11000.00	11000.00
					Total-	400000.00

नोट– उपर्युक्त वर्णित घटक/अवयव तथा उसका मूल्य सांकेतिक एवं सब्सिडी आकलन के लिए है। वास्तविक घटक/अवयव एव मूल्य में निर्धारित कुल राशि 4.0 लाख के अन्तर्गत परिवर्त्तन हो सकता है।

2578
01/6/16

सरकार के संयुक्त सचिव

 Typed by Sanjay Kumar

अनुलग्नक–IV (क)

"पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना" के तहत विभिन्न अवयवों पर व्यय विवरणी :–

क्र०	अवयव	अनुमानित व्यय (लाख में)	अभ्युक्ति
1	Cost of construction of pond of 1 Acre (water area) and depth 08 feet.	9.00	
2	Deep Tubewell (sinking of 150mm X 100mm dia X 80mm)	2.00	
3	Solar Pump, 3HP pump including solar plate setup (ISO/BIS/ISIvkfn ekud okys)	3.00	
4	Shed with tubular pipe and profile sheet (10 ft*10 ft)	1.00	
5	Input Cost @4Lakhs/h for 1 Acre (water area)	1.60	
6	Miscellenous (L.S)	0.10	
	Total	**16.70**	
	Say – 16.70 Lakh (Sixteen lakh Seventy thousand only)		

Note :- The above cost of items are indicative & estimation. During construction actual cost of items may vary and interchangeable within the stipulated cost.

अनुलग्नक–IV (ख)

पैकेज के तहत प्रति यूनिट इकाई (1 यूनिट=0.4 एकड़ जलक्षेत्र) व्यय :–

क्र०	अवयव	अनुमानित व्यय (लाख में)	अभ्युक्ति
1	Cost of construction of pond of 0.4 Acre (water area) and depth 08 feet.	3.60	
2	Deep Tubewell (sinking of 150mm X 100mm dia X 80mm)	2.00	
3	Solar Pump, 3HP pump including solar plate setup (ISO/BIS/ISI vkfn ekud okys)	3.00	
4	Shed with tubular pipe and profile sheet (10 ft*10 ft)	1.00	
5	Input Cost for 0.4 Acre (water area)	0.64	
6	Miscellaneous expenditure (L.S)	0.10	
	Total	**10.34**	
	Say – 10.34 Lakh (Ten lakh Thirty four thousand only)		

नोट :– उपर्युक्त व्यय विवरणी पैकेज सहायता के तहत न्युन्तम अनुमान जलक्षेत्र के आधार पर आकलित है, जिसके अनुसार जिलों को लक्ष्य दिया गया है।

2/1/5

सरकार के संयुक्त सचिव

2578
01/6/26

अनुलग्नक--IV (ग)

Input cost for pond fisheries						
Model estimate for advance inputs schemes for pond fisheries of 1 hectare of water area						
Operational Input Cost for one crop (one year) 2.50 Acre or 1 Hectare water area.						
Sl. No.	**Items**	**Quantity / Hectare**	**Unit**	**Net Quantity**	**Rate**	**Amount**
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*
A	Fish Seed-					
1	Advance fingerlings Size ≥ 50 gms.6000 nos = 300 K.G.	300.00	K.G.	300.00	300.00 (Including transportation)	90000.00
B	Manuring & fertilization-					
2	Liming	400.00	K.G.	400.00	20.00	8000.00
3	De-oiled mustered oil cake	0.500	Ton	0.50	20000.00	10000.00
C	Formulated commercial feed					
4	Sinking pellet Feed	2500.00	K.G.	2500.00	34.00	85000.00
5	Floating Feed (for last qr.)	3500.00	K.G.	3500.00	46.00	161000.00
C	Chemical & Medicines					
6	KMnO4, Probitics, Mineral mixture, Therapeutic agent etc.			L.S	35000.00	35000.00
7	Miscellaneous			L.S	11000.00	11000.00
					Total-	400000.00

नोट :– उपर्युक्त वर्णित घटक/अवयव तथा उसका मूल्य सांकेतिक एवं सब्सिडी आकलन के लिए है। वास्तविक घटक/अवयव एव मूल्य में निर्धारित कुल राशि 4.0 लाख के अन्तर्गत परिवर्त्तन हो सकता है।

सरकार के संयुक्त सचिव

2578
01/6/26

 Typed by Sanjay Kumar

176

अनुलग्नक–V

वित्तीय वर्ष 2025–26 में तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति/अतिपिछड़ी जाति) हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

क्र0	जिला	सब्सिडी 70 प्रतिशत								
		तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना *इकाई लागत 5.72 लाख/युनिट (1 युनिट–0.4 एकड़)*						प्रशासनिक व्यय (लाख में)	कुल लक्ष्य	
		अति पिछड़ी जाति		*अनुसूचित जाति*		*अनुसूचित जनजाति*				
		भौतिक (यूनिट)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (यूनिट)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (यूनिट)	वित्तीय (लाख में)		भौतिक (यूनिट)	वित्तीय (लाख में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	पटना	3.00	12.01200	2.00	8.00800	0.00	0.00000	0.60000	5.00	20.62000
2	भोजपुर	8.00	32.03200	3.00	12.01200	0.00	0.00000	0.60000	11.00	44.64400
3	बक्सर	1.00	4.00400	2.00	8.00800	0.00	0.00000	0.60000	3.00	12.61200
4	रोहतास	4.00	16.01600	9.00	36.03600	1.00	4.00400	0.60000	14.00	56.65600
5	कैमुर	12.00	48.04800	8.00	32.03200	0.00	0.00000	0.75000	20.00	80.83000
6	नालंदा	8.00	32.03200	8.00	32.03200	0.00	0.00000	0.60000	16.00	64.66400
7	गया	12.00	48.04800	11.00	44.04400	0.00	0.00000	0.75000	23.00	92.84200
8	जहानाबाद	3.00	12.01200	3.00	12.01200	0.00	0.00000	0.60000	6.00	24.62400
9	अरवल	2.00	8.00800	1.00	4.00400	0.00	0.00000	0.60000	3.00	12.61200
10	औरंगाबाद	3.00	12.01200	7.00	28.02800	0.00	0.00000	0.60000	10.00	40.64000
11	नवादा	8.00	32.03200	7.00	28.02800	0.00	0.00000	0.60000	15.00	60.66000
12	मुजफ्फरपुर	50.00	200.20000	29.00	116.11600	0.00	0.00000	1.00000	79.00	317.31600
13	वैशाली	8.00	32.03200	2.00	8.00800	0.00	0.00000	0.60000	10.00	40.64000
14	सीतामढ़ी	13.00	52.05200	8.00	32.03200	0.00	0.00000	0.75000	21.00	84.83400
15	पु० चम्पारण	35.00	140.14000	10.00	40.04000	0.00	0.00000	1.00000	45.00	181.18000
16	प० चम्पारण	12.00	48.04800	6.00	24.02400	1.00	4.00400	0.60000	19.00	76.67600
17	शिवहर	8.00	32.03200	3.00	12.01200	0.00	0.00000	0.60000	11.00	44.64400
18	सारण	3.00	12.01200	2.00	8.00800	0.00	0.00000	0.60000	5.00	20.62000
19	सिवान	6.00	24.02400	5.00	20.02000	1.00	4.00400	0.60000	12.00	48.64800
20	गोपालगंज	6.00	24.02400	4.00	16.01600	0.00	0.00000	0.60000	10.00	40.64000
21	भागलपुर	9.00	36.03600	4.00	16.01600	1.00	4.00400	0.60000	14.00	56.65600
22	बॉका	12.00	48.04800	2.00	8.00800	0.00	0.00000	0.60000	14.00	56.65600
23	मुंगेर	3.00	12.01200	1.00	4.00400	0.00	0.00000	0.60000	4.00	16.61600
24	लखीसराय	7.00	28.02800	5.00	20.02000	0.00	0.00000	0.60000	12.00	48.64800
25	शेखपुरा	3.00	12.01200	6.00	24.02400	0.00	0.00000	0.60000	9.00	36.63600
26	जमुई	26.00	104.10400	23.00	92.09200	3.00	12.01200	1.00000	52.00	209.20800
27	खगड़िया	9.00	36.03600	5.00	20.02000	0.00	0.00000	0.60000	14.00	56.65600
28	बेगूसराय	7.00	28.02800	4.00	16.01600	0.00	0.00000	0.60000	11.00	44.64400
29	सहरसा	13.00	52.05200	6.00	24.02400	0.00	0.00000	0.60000	19.00	76.67600
30	सुपौल	13.00	52.05200	6.00	24.02400	1.00	4.00400	0.75000	20.00	80.83000
31	मधेपूरा	4.00	16.01600	4.00	16.01600	0.00	0.00000	0.60000	8.00	32.63200
32	कटिहार	8.00	32.03200	5.00	20.02000	1.00	4.00400	0.60000	14.00	56.65600
33	पूर्णियां	9.00	36.03600	5.00	20.02000	1.00	4.00400	0.60000	15.00	60.66000
34	अररिया	4.00	16.01600	3.00	12.01200	0.00	0.00000	0.60000	7.00	28.62800
35	किशनगंज	6.00	24.02400	3.00	12.01200	0.00	0.00000	0.60000	9.00	36.63600
36	दरभंगा	8.00	32.03200	1.00	4.00400	0.00	0.00000	0.60000	9.00	36.63600
37	मधुबनी	30.00	120.12000	6.00	24.02400	0.00	0.00000	1.00000	36.00	145.14400
38	समस्तीपुर	14.00	56.05600	6.00	24.02400	0.00	0.00000	0.60000	20.00	80.68000
	कुल योग	**390.00**	**1561.56000**	**225.00**	**900.90000**	**10.00**	**40.04000**	**25.00000**	**625.00**	**2527.50000**

नोट :– जिलावार लक्ष्य का निर्धारण जिलों के मांग तथा गत वर्षो की उपलब्धि के आधार पर की गई है।

सरकार के संयुक्त सचिव

2578
01/6/26

अनुलग्नक–VI

वित्तीय वर्ष 2026–27 में सात निश्चय–2 के तहत **"पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना"** हेतु जिलावार लक्ष्य की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	"पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना" (सब्सिडी 80 प्रतिशत) (इकाई लागत 10.34 लाख/प्रति यूनिट (1 युनिट–0.4 एकड़)			
		अनुसूचित जाति (विपत्र कोड 02–2405007890102 विषय शीर्ष–0102.33.01 –सब्सिडी मद)		अनुसूचित जनजाति (विपत्र कोड 02–2405007960110 विषय शीर्ष–0110.33.01 –सब्सिडी मद)	
		भौतिक (यूनिट)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (यूनिट)	वित्तीय (लाख में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	बांका	15.00	124.080	3.00	24.816
2	औरंगाबाद	25.00	206.800		
3	गया	15.00	124.080		
4	कैमूर	15.00	124.080	3.00	24.816
5	नवादा	5.00	41.360		
6	जमूई	90.00	744.480	5.00	41.360
7	मुंगेर	1.00	8.272	1.00	8.272
8	रोहतास	25.00	206.800	2.00	16.544
9	लखीसराय	2.00	16.544	1.00	8.272
कुल योग		**193.00**	**1596.4960**	**15.00**	**124.0800**

नोट–उक्त जिलों के पठार बहुल्य जिलों के प्रखण्ड/प्रखण्डों के लाभुकों (अनुसूचित जाति/जनजाति) को योजनान्तर्गत लाभ की अनुमान्यता होगी न की पूरे जिलों के सभी प्रखण्डों के लाभुकों हेतु।

सरकार के संयुक्त सचिव

2578
01/6/26